## कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

| | |
|---|---|
| उपस्थित | **श्रीमती सेल्वा कुमारी जे0, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।** |
| प्रार्थी | **सर्वश्री 3ए इलेक्ट्रोनिक एजेन्सी, 539 ए / 83, सी सी मारूतिपुरम, फैजाबाद रोड, लखनऊ ।** |
| प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक | **24 / 13, 30.05.2013** |
| प्रार्थी की ओर से | **श्री अरशी मोबिन ।** |

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री 3ए इलेक्टानिक एजेन्सी, 539 ए / 83 सी सी मारूतिपुरम, फैजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में यह प्रश्न पूछा गया है कि एल0 सी0 डी0, एल0 ई0 डी0 टीवी, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कन्डिशनर, माइक्रोवेव ओवन, होम थियेटर, मोबाइल, लैपटाप व कैमरा, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं मानी जाती हैं या नहीं ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी-श्री अरशी मोबिन उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित वस्तुओं को दोहराते हुए कहा गया कि नोटिफिकेशन संख्या-K.A.N.I-2-409 / XI-(103) / 91-U.P.Act-5-2008-Order-(88)-2013 में कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट / मिलेट्री में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की खरीद व बिक्री पर दिनांक 01.04.2013 से कर न लगने का प्राविधान किया गया है, इसलिए एल0 सी0 डी0, एल0 ई0 डी0 टीवी, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कन्डिशनर, माइक्रोवेव ओवन, होम थियेटर, मोबाइल, लैपटाप व कैमरा, के सम्बन्ध में यह जानकारी चाही गयी है कि ये वस्तुएं इलेक्ट्रानिक हैं या नहीं । सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता को द्वारा धारा-59 (1)-क, ख, ग, घ, ड. के प्राविधान से अवगत कराते हुए पूछा गया कि इस प्राविधान के अनुसार धारा-59 (1) के अन्तर्गत वस्तुओं पर करदेयता व कर की दर पूछी जा सकती है । वस्तुएं इलेक्ट्रानिक है या नहीं, इसका निर्धारण धारा-59 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता । प्रार्थी द्वारा इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ के पत्र संख्या-762, दिनांक 27.06.2013 से प्राप्त आख्या में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (ड.) में किसी खरीद-बिक्री पर अथवा वस्तु पर करदेयता / कर की दर पूछा जा सकती है । प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में वर्णित वस्तुएं इलेक्ट्रानिक वस्तुएं हैं, से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया है, जिसका उत्तर धारा-59 के अन्तर्गत दिया जाना प्राविधानित नहीं है ।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि धारा-59 (1) )-क, ख, ग, घ, ड. निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या

....2

सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि धारा-59 (ड.) के अन्तर्गत केवल किसी वस्तु पर करदेयता / कर की दर धारा-59 के अन्तर्गत पूछा जा सकती है । वस्तुएं इलेक्ट्रानिक हैं या नहीं, का निर्धारण करने का प्राविधान धारा-59 (1)-क, ख, ग, घ, ड. में प्राविधानित नहीं है । प्रार्थी द्वारा इलेक्ट्रानिक वस्तुएं होने के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा गया है यह प्रश्न धारा-59 की परिधि में नहीं आता है । अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1)-ड. में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत करदेयता / कर की दर ही ज्ञात की जा सकती है । एल0 सी0 डी0, एल0 ई0 डी0 टीवी, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कन्डिशनर, माइक्रोवेव ओवन, होम थियेटर, मोबाइल, लैपटाप व कैमरा, इलेक्ट्रानिक हैं या नहीं, इसका विनिश्चय धारा-59 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है । अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र, धारा-59 की परिधि में न आने के कारण ग्राह्य नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 19 जुलाई, 2013

ह0 / 19.07.2013

**(सेल्वा कुमारी जे0)**

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।